न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 102/2022

प्रार्थी

किशनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री केवाराम लुहार, जाति– लुहार, निवासी– मण्ड़ार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) ग्राम पंचायत, मण्ड़ार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

(2) जैसाराम पुत्र स्वर्गीय श्री केवाराम लुहार, जाति– लुहार, निवासी– मण्ड़ार, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की ओर से
3. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या–2 (जैसाराम) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 20 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी जैसाराम पुत्र श्री केवाराम लुहार, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 (मिसल संख्या 257/2021–22) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (ग्राम पंचायत, मण्ड़ार) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित एवं अप्रार्थी संख्या–2 (जैसाराम) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड मिसल संख्या 257/2021–22 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावात ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे व स्वामित्व का एक आवासीय मकान गांव मण्ड़ार के वार्ड संख्या 3 में आया हुआ है। जिसको स्व. केवारामजी लुहार तथा उनके भाई कपुराजी लोहार ने संयुक्त रूप से आम निलामी में रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर जयपुर से 2155/– रूपये में खरीद किया था उक्त सम्पत्ति का सेल सर्टिफिकेट दिनांक 31.07.1961 को केवाराम तथा उनके भाई कपुराजी के नाम से जारी किया था। जिसका कुल नाप 5472 वर्गफीट था। उक्त सम्पत्ति को आम निलामी में खरीदने के बाद केवाराम तथा कपुराजी दोनो भाईयों के मध्य विभाजन होने से 2736 वर्गफीट मकान प्रार्थी के पिता केवारामजी के [illegible] केवारामजी के भाई कपुराजी के हिस्से में आया। केवारामजी के हि[illegible] भाग पर केवारामजी ने अपने जीवनकाल में अपने परिवार [illegible] पश्चात् उनके विधिक वारिसान को प्राप्त हुआ। केवाजी के विधिक [illegible] प्रार्थी, अप्रार्थी संख्[illegible] दो

......पे[illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

अन्य भाई तथा केवाजी की पत्नी गेरी देवी व दो अन्य बहिनो को प्राप्त हुआ। इस प्रकार, उक्त आवासीय सम्पत्ति केवाजी की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधिक वारिसान की शामलाती है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। केवाजी के कुल 7 विधिक वारिसान होने से अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त सम्पत्ति में 1/7 वां हक हिस्सा व अधिकार है, परन्तु अप्रार्थी संख्या–2 ने ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के सरपंच व सचिव के साथ मिलीभगत कर प्रार्थी व अन्य विधिक वारिसान को जानकारी दिये बिना उक्त पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को स्वयं के नाम से जारी करवाया है जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने जिस सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी जैसाराम को जारी किया है, वह सम्पत्ति केवाजी के विधिक वारिसान की संयुक्त सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति केवाजी द्वारा आम निलामी में खरीद किये जाने के पश्चात् उसका पट्टा व सेल सर्टिफिकेट पूर्व में जारी किया हुआ है, ऐसी स्थिति में जिस भूमि का पट्टा पहले से ही जारी किया हुआ है उसी भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि उक्त सम्पत्ति में अप्रार्थी जैसाराम के हिस्से में 1/7 वां हिस्सा अर्थात् 395 वर्गफीट भूमि आती है, परन्तु उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति अविभाजित होने से अप्रार्थी के हक अधिकार की भूमि की निश्चित चतुदर्शी दर्शित किया जाना संभव नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी जैसाराम के हक हिस्से 395 वर्गफीट से ज्यादा 620 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को जारी किया है। इस प्रकार, केवाजी के अन्य विधिक वारिसान के हक हिस्से का पट्टा भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी जैसाराम के पक्ष में जारी कर दिया, जो कानूनन गलत है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने अप्रार्थी जैसाराम के पक्ष में उक्त पट्टा जारी किये जाने से पूर्व न तो प्रार्थी को एवं न ही किसी अन्य विधिक वारिसान को कोई सूचना प्रदान की एवं अप्रार्थी जैसाराम से अवैध लाभ प्राप्त कर अवैध तरीके से उक्त पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जब किसी भूमि का पट्टा एक बार ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति के नाम से जारी कर दिया जाता है उसके बाद उस भूमि का स्वामित्व उस पट्टा धारक में निहित हो जाता है एवं उस भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं होता है, बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी जैसाराम से मिलीभगत कर व अवैध लाभ प्राप्त कर एक ही भूमि का दुबारा पट्टा जारी कर दिया है। यह कि अप्रार्थी जैसाराम को पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने न तो कोई नोटिस जारी किया एवं न ही कोई आम आपत्ति नोटिस जारी किया और न ही पंचायत में उपलब्ध रेकर्ड की जांच की है। प्रार्थी को अप्रार्थी जैसाराम के पक्ष में जारी इस अवैध पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई, तब प्रार्थी ने सम्पूर्ण दस्तावेज ग्राम पंचायत, मण्डार को प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को खारिज करने का अनुरोध किया, परन्तु उसके के बावजूद भी उक्त पट्टा खारिज नहीं किये जाने से प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि पूर्व में ग्राम पंचायत मण्डार द्वारा इसी भूमि का पट्टा संख्या 37 दिनांक 03.7.2014 को प्रार्थी के भाई दिनेश कुमार को जारी किया था, जिसके विरूद्ध इन्हीं आधारो पर एक निगरानी आवेदन प्रार्थी किशनलाल व अप्रार्थी जैसाराम ने प्रस्तुत की थी, जो पंचायत निगरानी संख्या 01/2015 पर दर्ज हुआ एवं इस पंचायत निगरानी संख्या 01/2015 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.9.2015 को पारित निर्णय के द्वारा निगरानी आवेदन स्वीकार कर श्री दिनेश कुमार पुत्र केवाजी लुहार, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 03.7.2014 को निरस्त किया था। यह कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा इस भूमि में से पट्टा संख्या 46 दिनांक [illegible] को प्रार्थी किशनलाल के पक्ष में जारी किया गया था, जिसे निरस्त करने हेतु अप्रार्थी जैसाराम व प्रार्थी की माता गेरी देवी ने प्रार्थी किशनलाल व अन्य के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी आवेदन

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया था, जो पंचायत निगरानी संख्या 26/2019 पर दर्ज रजिस्टर होकर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पक्षकारान पंचायत निगरानी संख्या 26/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2020 के द्वारा निगरानी आवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी किशनलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त करके प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्ड़ार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत भूमि के मौके एव रेकर्ड की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। बावजूद इसके ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने उक्त निर्णय दिनांक 11.11.2020 की पालना नही कर अप्रार्थी जैसाराम के पक्ष में उसी भूमि का पुनः पट्टा जारी कर दिया। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी जैसाराम पुत्र केवाजी लुहार, निवासी—मण्ड़ार के पक्ष में जारी पट्टा 97 दिनांक 23.9.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या—2 (जैसाराम) के विद्वान अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया ने अप्रार्थी संख्या—2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त सम्पत्ति पुश्तैनी होने व केवारामजी के हिस्से में आधी सम्पत्ति आने तथा उक्त सम्पत्ति उनकी मृत्यु के बाद सभी वारिसान को प्राप्त होने का कथन सही है, लेकिन केवारामजी के जीवनकाल में निष्पादित विभाजन विलेख को मानते हुए अप्रार्थी संख्या—2 के भाई किशनलाल, हंजारीमल तथा दिनेशकुमार ने अपने अपने हिस्से की भूमि के पट्टे बनवाकर उसका विक्रय अन्य पक्षकारों को कर दिया तथा उनके स्थान पर क्रेतागण द्वारा भवन का निर्माण कार्य भी कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या—2 ने शेष 620 वर्गफीट भूमि को मौके पर थी, उसका पट्टा अप्रार्थी संख्या—2 की माता व बहनों की सहमति से बनाए जाने हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या—2 के हक में जारी पट्टे की सम्पत्ति में अप्रार्थी संख्या—2 की माता व बहनों ने अपनी सहमति जाहिर की हैं तथा अप्रार्थी संख्या—2 के हक में जारी पट्टे के सम्बंध में उन्हें कोई उजर एजराज नहीं है। प्रार्थी को गलत व विधि विरुद्ध तरीके से कुल 720 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया था तथा उस भूमि का विक्रय भी कर दिया गया तथा क्रेता द्वारा उस पर भवन का निर्माण कार्य भी कर दिया गया है, इसलिये प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या—2 के भाई किशनलाल, हंजारीमल तथा दिनेशकुमार ने अपने अपने हिस्से की भूमि के पट्टे बनवाकर उसका विक्रय अन्य पक्षकारों को कर दिया है, शेष 620 वर्गफीट भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या—2 ने अपनी माता व बहनों की सहमति से जारी करवाया गया है, अप्रार्थी संख्या—2 के तीन भाईयों ने अपनी मनमर्जी के अनुसार हिस्से लेकर सम्पत्ति को विक्रय कर दिया है, जिससे प्रार्थी को उक्त पट्टा जारी करने के सम्बंध में एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त सम्पत्ति का सेल सर्टीफिकेट अवश्य ही पूर्व में जारी किया गया था लेकिन उसके आधार पर कोई पट्टा जारी किया हुआ नहीं था तथा न ही सेल सर्टीफिकेट का कोई पंजीयन ही हुआ है, जिससे उक्त सेल सर्टीफिकेट से अपने आप में कोई टाईटल प्राप्त नहीं होने से पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या—2 की माता व बहनों द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के हक में 620 वर्गफीट का पट्टा जारी करने में अपनी सहमति दी है तथा वे उक्त सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है, जिससे पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है तथा हिस्से के सम्बंध में कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी किशनलाल स्वयं द्वारा 720 वर्गफीट का पट्टा जारी करवाए जाने के बाद उसका विक्रय भी कर दिया है तथा क्रेता द्वारा [illegible] पर पक्का निर्माण कार्य भी कर दिया है, जिससे प्रार्थी अपने [illegible] प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है [illegible] के भाई किशनलाल, हंजारीमल तथा दिनेशकुमार ने अपने अपने हिस्से की भूमि के पट्टे बनवाकर उसका

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

विक्रय अन्य पक्षकारों को कर दिया गया है, जिससे उन्हें जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त सम्पत्ति का पट्टा पुर्व में बना हुआ नहीं है, यदि पट्टा बना हुआ है तो उसके क्या नम्बर है, कौनसी तारीख को किसके द्वारा जारी किया गया है, कोई उल्लेख निगरानी आवेदन में नहीं किया गया है। भूमि का सेल सर्टीफिकेट अवश्य जारी किया गया था लेकीन उक्त दस्तावेज पंजीकृत नहीं होने से वह टाईटल डीड की श्रेणी में नहीं आता है एवं इसके आधार पर पुश्तैनी आवास का पट्टा जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा पट्टा जारी करने से पुर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है, नोटिस आदि भी चस्पा किए गए है। ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थी को जारी पट्टा के पडौस की भूमि का पट्टा जारी किया गया था, जिसमें प्रार्थी की माता की आपत्ति होने के कारण उक्त पट्टे को खारिज किया गया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 के हक में जारी पट्टे में अप्रार्थी संख्या–2 की माता व बहनों द्वारा सहमति जाहिर की गई है। यह कि प्रार्थी ने अन्य वारिसान को इस निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे यह निगरानी आवेदन पक्षकारों के कु संयोजन दोष से दुषित है। यह कि प्रार्थी द्वारा स्वयं के पक्ष में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार से पट्टा वर्ष 2018 में जारी करवाया था तथा उस पट्टे के आधार पर विमलादेवी सोनी को 720 वर्गफीट भूमि का विक्रय कर चुका है, जिससे प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी लॉ आफ एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी निगरानी में वर्णित तथ्यों की ग्राम पंचायत, मण्ड़ार को जानकारी नही है तथा अप्रार्थी संख्या–2 या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त पट्टा संख्या 87 जारी करते समय उक्त दस्तावेज ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में प्रस्तुत नहीं किये थे एवं न ही ग्राम पंचायत कार्यालय, मण्ड़ार में ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे ग्राम पंचायत, मण्ड़ार को इस तथ्य की जानकारी कि उक्त सम्पत्ति अविभाजित है व उसका सेल सर्टिफिकेट जारी हो रखा है। अप्रार्थी संख्या– 2 द्वारा उक्त पट्टे शुदा भूमि को स्वयं की पुश्तैनी कब्जे शुदा भूमि होना बताकर पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन कर उक्त पट्टा जारी किया हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर उक्त पट्टा जारी किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधान अनुसार आपत्ति नोटिस जारी किया गया व आपत्ति नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति ने ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व प्रार्थी या उसके भाईयों को कोई व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किया गया है एवं न ही ऐसा कोई नोटिस जारी करने का विधिक प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। यह कि एक बार किसी व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् उस भूखण्ड का स्वामित्व उस पट्टेधारक में निहित हो जाता है तथा उसी भूखण्ड का दुबारा पट्टा जारी करने का पंचायत को अधिकार नहीं है, परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी या अप्रार्थी द्वारा इस भूखण्ड के पूर्व में पट्टे या सेल सर्टिफिकेट जारी होने की कोई सूचना ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की तथा ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत विहित प्रक्रिया का पालन कर उक्त पट्टा जारी किया है। यह [illegible] पंचायत द्वारा जारी पट्टे को खारिज करने या निरस्त करने का अधिकार [illegible] को नही है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार को इस न्यायालय द्वारा [illegible] जानकारी नही है एवं पूर्व के

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्णय की जानकारी के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पर विधि अनुसार आदेश पारित किये जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.4.2022 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 620 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी जैसाराम पुत्र केवाराम लोहार, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे व स्वामित्व का एक आवासीय मकान गांव मण्डार के वार्ड संख्या 3 में आया हुआ है। जिसको स्व. केवारामजी लुहार तथा उनके भाई कपुराजी लोहार ने संयुक्त रूप से आम निलामी में रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर जयपुर से 2155/– रूपये में खरीद किया था उक्त सम्पत्ति का सेल सर्टिफिकेट दिनांक 31.7.1961 को केवाराम तथा उनके भाई कपुराजी के नाम से जारी किया था, जिसका कुल नाप 5472 वर्गफीट था। उक्त सम्पत्ति को आम निलामी में खरीदने के बाद केवाराम तथा कपुराजी दोनो भाईयों के मध्य विभाजन होने से 2736 वर्गफीट मकान प्रार्थी के पिता केवारामजी के हिस्से में तथा शेष भाग केवारामजी के भाई कपुराजी के हिस्से में आया। केवारामजी के हिस्से में आये भाग पर केवारामजी ने अपने जीवनकाल में अपने परिवार के साथ तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान को प्राप्त हुआ। केवाजी के विधिक वारिसान में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व दो अन्य भाई तथा केवाजी की पत्नी गेरी देवी व दो अन्य बहिनो को प्राप्त हुआ। इस प्रकार, उक्त आवासीय सम्पत्ति केवाजी की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधिक वारिसान की शामलाती है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। केवाजी के कुल 7 विधिक वारिसान होने से अप्रार्थी संख्या–2 का उक्त सम्पत्ति में 1/7 वां हक हिस्सा व अधिकार है।'' प्रार्थी का यह भी कथन है कि ''उक्त सम्पत्ति में अप्रार्थी जैसाराम के हिस्से में 1/7 हिस्सा अर्थात् 395 वर्गफीट भूमि आती है, परन्तु उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति अविभाजित होने से अप्रार्थी के हक अधिकार की भूमि की निश्चित चतुदर्शी दर्शित किया जाना संभव नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी जैसाराम के हक हिस्से 395 वर्गफीट से ज्यादा 620 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को जारी किया गया है।''

पत्रावली पर दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि केवाजी पुत्र हिन्दु जी के भाई कपूरा जी पुत्र हिन्दू जी ने आम नीलामी में ग्राम मण्ड़ार में स्थित एक भूखण्ड़ दिनांक 31.7.1961 को राशि रुपये 2155/– (अक्षरे रुपये दो हजार एक सौ पचपन मात्र) में क्रय किया था जिसका विक्रय प्रमाण पत्र मेनेजिंग ऑफिसर, कार्यालय रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 07.9.1963 को श्री कपूरा एवं केवा जी के पक्ष में जारी किया हुआ है। श्री कपूराजी पुत्र हिन्दु जी लुहार, निवासी– मण्ड़ार द्वारा नीलामी में क्रय किये गये उक्त भूखण्ड़ का एक ईकाररनामा अपने भाई केवाजी पुत्र हिन्दूजी लुहार, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में दिनांक 07.9.1995 को निष्पादित किया गया था, इस ईकरारनामा के अनुसार श्री कपूरा पुत्र हिन्दु जी लुहार एवं उसके भाई केवाजी ने उक्त भूखण्ड़ आम नीलामी में संयुक्त रुप से क्रय किया था तथा उक्त भूखण्ड़ की राशि रुपये 2155/– दोनों भाईयों ने अदा की थी तथा उक्त 5472 वर्गफीट भूखण्ड़ को [illegible] दोनों भाईयों ने आधा आधा हिस्सा बांट कर बीच में दिवार बनाई थी जिस [illegible] आधे हिस्से में दोनों का कब्जा बरकार है। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा श्री दिनेश [illegible] पुत्र केवाजी [illegible], निवासी– मण्डार के पक्ष में

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 03.7.2014 को निरस्त कराने हेतु उक्त तथ्यों के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या—2 (जैसाराम) व उसकी माता गेरीदेवी व प्रार्थी (किशनलाल) ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत, मण्ड़ार व श्री दिनेश कुमार पुत्र केवाराम जी, जाति— लुहार, निवासी— मण्डार के विरुद्ध एक निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्याः 01/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02 सितम्बर 2015 के अनुसार निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा श्री दिनेश कुमार पुत्र केवाजी लुहार, निवासी— मण्डार के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 03.4.2013 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में श्री दिनेश कुमार पुत्र केवाजी लुहार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 03.7.2014 को निरस्त किया गया है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा प्रार्थी (किशनलाल) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 720 वर्गफीट का जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी संख्या—2 (जैसाराम) व उसकी माता श्रीमती गेरी पत्नि स्वर्गीय केवाराम लुहार, निवासी— मण्ड़ार द्वारा प्रार्थी (किशनलाल) व अन्य के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत एक निगरानी आवेदन पुनः इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्याः 26/2019 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अनुसार निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा पारित संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.6.2019 एवं इस संकल्प के अनुसरण में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा श्री किशनलाल पुत्र केवाजी लुहार, निवासी— मण्डार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण ग्राम पचांयत, मण्ड़ार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस प्रकार, प्रकरण में उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य जांच का विषय है कि केवाजी पुत्र हिन्दू जी लुहार के हक हिस्से की भूमि का केवाजी पुत्र हिन्दू जी लुहार के सभी विधिक उत्तराधिकारियों में आपसी बंटवाड हुआ है अथवा नही? यह तथ्य भी जांच का विषय है कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 (जैसाराम) के पक्ष में जिस 620 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को जारी किया गया है वह सम्पति उक्त विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 07.9.1963 (जो मेनेजिंग ऑफिसर, कार्यालय रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किया गया है) से संबंधित सम्पति का ही भाग है अथवा नही? यदि उक्त विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 07.9.1963 से संबंधित भूमि का ही ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 (जैसाराम) के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 26.9.2019 को जारी किया गया है तो वह विधि सम्मत नही है, क्योंकि उक्त सम्पति का विक्रय प्रमाण पत्र पूर्व में दिनांक 07.9.1963 को मेनेजिंग ऑफिसर, कार्यालय रिजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जा चुका है जिससे उसी सम्पति का पुनः पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नही है, लेकिन ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने इस न्यायालयके उक्त निर्णय दिनांक 11.11.2020 की पालना में प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच किये बिना ही अप्रार्थी जैसाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी आवेदन सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी जैसाराम पुत्र श्री केवाराम लुहार, निवासी— मण्ड़ार के पक्ष में जारी पट्टा

.....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते *सिरोही*

संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्डार को पक्षकारान एवं स्वर्गीय श्री केवा पुत्र हिन्दु जी लुहार, निवासी— मण्ड़ार के अन्य बारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए मौके एवं रेकर्ड की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्र्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा अप्रार्थी जैसाराम पुत्र श्री केवाराम लुहार, निवासी— मण्ड़ार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 87 दिनांक 23.9.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान एवं स्वर्गीय केवा पुत्र हिन्दू जी लुहार, निवासी— मण्ड़ार के अन्य विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रश्नगत भूमि के मौके एवं रेकर्ड की जांच कर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 अक्टूम्बर, 2023 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested